

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री कमलीराम पिता/पति श्री बलदेवराज

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री कमलीराम पिता/पति.....  
बलदेवराज निवासी देवल ग्राम/की हुं/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का सुरजपुर के राजस्व ग्राम सुरजपुर में खाता संख्या 33.....  
किता 1 रकबा 0.21 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम बलदेव दर्ज है  
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में बालवी दर्ज करवाना चाहती हू/चाहता हूं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम बलदेव के बजाय बालवी दर्ज करवाने की कृपा  
करावे।

दिनांक 20/09/2025

हस्ताक्षर  
प्रार्थी के अनु  
श्री. कमलीराम

रिपोर्ट पटवारी हल्का सुरजपुर

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री कमलीराम पिता/पति बलदेवराज निवासी.....  
देवल राजस्व ग्राम सुरजपुर पटवार हल्का सुरजपुर की जमाबन्दी  
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में बालवी दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो  
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः  
संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू.अ.नि Semalpur  
20/9/25

**कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौडगढ(राज.)**

दिनांक:-20/09/2025

क्रमांक:-भू.अ./2025/

प्रेषित,


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रुमलीराम पिता/पत्नि नर.प.राम निवासी.....  
रेयल पटवार हल्का मानपुरा के राजस्व ग्राम सुरूपपोल में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की  
खाता संख्या 33 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम अलारि  
किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम अलारि का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया  
जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं  
होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार बस्सी  
बस्सी  
जिला चित्तौडगढ (राज.)

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)**

क्रमांक:-रीडर/2025/न38

दिनांक:-27/09/2025

निमित्त,

पटवार हल्का मानपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रुमलीराम पिता/पत्नि नर.प.राम राजस्व  
ग्राम सुरूपपोल पटवार हल्का मानपुरा की खाता संख्या 33 में जाति/नाम अलारि  
दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार  
बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रुमलीराम पिता/पत्नि नर.प.राम की जाति/नाम अलारि  
एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का  
मानपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ



## जमाबंदी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुरजपोल  
पटवार हल्का :- सेमलपुरा  
भू.अभि.नि. :- सेमलपुरा  
तहसील :- बस्सी  
जिला :- चित्तौड़गढ़

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2078-2081 जमाबंदी 2078 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 33  
खाता संख्या पुराना :- 29

काश्तकार का नाम:-

1. कमलीराम पुत्र नन्दराम हिस्सा- पूर्ण जाति- बलाई सा. ऐराल खातेदार  
राहिन ( पूर्ण खाता ) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Gopal Nagar (manpura),

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1728/1446	0.2100	नहरी 1	0.2100	3.78		
कुल खसरे - 1	0.2100		0.2100	3.7800		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 20-Sep-2025

**NIG**